

चेक लिस्ट क्रमांक-02

प्रपत्र में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन क्रमांक)



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./मू-प्रबंध/विद्युत/एल.एम-479-188/1988

रायपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल धरमजयगढ़
छत्तीसगढ़



- विषय:** - रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 220/132/33 KV Substation Dharamjaygarh, Village Hati हेतु क्षेत्रफल - 6.823 ha. पंजीयन बाबत।
- संदर्भ:** - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 12.08.2021 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 24/08/2021 तथा स्टेट सिरियल नं. CG-030/2021

-00-

विषयान्तर्गत Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत 220/132/33 KV Substation Dharamjaygarh, Village Hati हेतु कुल वन क्षेत्र - 6.823 हे. धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 18,000 = 24,000/- के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SubStation/145951/2021 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजते समय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़